बिहार सरकार,
खाद्य आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग।

पत्रांक-10183 आ० वा० पटना-15 दिनांक 3 अक्टूबर, 85.

7 वि-10/85

प्रेषक,

श्री चन्द्र मोहन झा,

सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त

सभी जिला पदाधिकारी।

विषयः-ठेला भेण्डरों द्वारा किरासन की वितरण व्यवस्था।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे कहना है कि शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ताओं के बीच किरासन की बिक्री जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों, बिक्री केन्द्रों, ठेला वालों तथा देहाती क्षेत्रों में जन वितरण प्रणाली की दुकानों द्वारा किरासन बिक्रेताओं एवं हाट-बाजार के दिन ठेला वालों के माध्यम से की जाती है।

किरासन की वितरण व्यवस्था की समीक्षा के क्रम में यह पाया गया है कि कुछ शहरों में अनावश्यक तौर पर काफी संख्या में ठेला भेण्डरों को किरासन की बिक्री के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है। परिणाम स्वरूप शहरी क्षेत्रों में ही किरासन का अधिकांश भाग रह जाता है और देहाती क्षेत्रों में यह उचित मात्रा में नहीं पहुँच पाता है। भारत सरकार के निदेश के आलोक में, जहां ऊर्जा के अन्य श्रोत उपलब्ध नहीं हैं पर्याप्त मात्रा में किरासन की आपूर्ति करनी है। देहाती क्षेत्रों में किरासन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए शहरी क्षेत्रों की वितरण व्यवस्था को विनियमित करने की आवश्यकता है। ठेला द्वारा किरासन वितरण के संबंध में इस विभाग द्वारा भेजे गये पत्र सं० 2324 दिनांक 28.2.84 एवं पत्र सं०-4561 दिनांक 18.5.84 तथा इस संबंध में भेजे गये अन्य आदेशों पर पुनर्विचार कर एतद द्वारा निम्नलिखित व्यवस्था को लागू करने का अनुरोध किया जाता है:-

1. ठेला वालों को, जैसा कि पूर्व में आदेश दिया गया है, किरासन तेल बिक्री की नयी अनुज्ञप्ति नहीं दी जाय।

2. जिन शहरों में जन वितरण प्रणाली के अतिरिक्त ठेला के माध्यम से भी किरासन की बिक्री व्यवस्था लागू है, वहां जन वितरण प्रणाली की दूकानों के अलावे प्रति वार्ड 2 या 3 ठेला भेण्डारों से अधिक किसी भी परिस्थिति में नहीं रखा जाय।

3. ठेला वालों द्वारा उनके निर्धारित वार्ड में एक परिवार को एक बार किरासन देने की अधिकतम सीमा 2 लीटर रखी जाय।

4. ठेलावाले दैनिक बिक्री पंजी निश्चित रूप से संधारित करें जिसके पृष्ठ जिला आपूर्ति पदाधिकारी/सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी सहायक अनुभाजन पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित हों।

5. जिन उपभोक्ताओं के बीच वे किरासन की आपूर्ति करें उनका नाम अपनी बिक्री पंजी में अवश्य अंकित करें तथा आपूर्ति की गई किरासन की मात्रा का उल्लेख करें।

6. ठेला वालों की बिक्री पंजी का सत्यापन जिला आपूर्ति पदाधिकारी, अनुभाजन कार्यालय के पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से कराया जाय एवं अगली बार किरासन की आपूर्ति सत्यापन के पश्चात ही की जाय।

7. ठेला वालों का भी भौतिक सत्यापन किया जाय और जो भी ठेला वाला अनाधिकृत रूप से जाली अथवा दूसरे व्यक्ति की अनुज्ञप्ति पर तेल बिक्री करते हुए पाया जाय उसका ठेला तत्क्षण जब्त कर लिया जाय तथा अनुज्ञप्ति रद्द कर दी जाय।

इस अभियान को सुनियोजित एवं कारगर ढंग से समाप्त किया जाय, क्योंकि सरकार को प्राप्त सूचना के अनुसार बहुत से ठेला वाले दूसरे व्यक्ति की अनुज्ञप्ति पर तथा बिना अनुज्ञप्ति प्राप्त किये ही किरासन की बिक्री कर रहे हैं।

अनुरोध है कि उपर्युक्त अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन कराने के लिए स्थानीय पदाधिकारियों को तुरंत अनुदेश देने की कृपा करें तथा की गई कार्रवाई से विभाग को अवगत करायें।

विश्वासभाजन,

(चन्द्र मोहन झा)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-10183 आ० वा० पटना-15, दिनांक 3 अक्टूबर, 85

प्रतिलिप, सभी अपर जिला दण्डाधिकारी (आपूर्ति) सभी विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी सभी अनुमण्डल पदाधिकारी/ सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी/ सभी सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित।

(रघुराज सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव।